कर्नाटक विधान-मंडल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1956

(1957 का अधिनियम संख्यांक 4)

यह घोषणा करने के लिए अधिनियम कि लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को मैसूर विधान सभा और मैसूर विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने से निरर्हित नहीं करेंगे ।

यह घोषित करना समीचीन है कि कतिपय पद, कतिपय दशाओं में उनके धारकों को मैसूर विधान सभा और मैसूर विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेंगे या निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे । यह घोषणा करने के लिए अधिनियम कि लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को मैसूर विधान सभा और मैसूर विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने से निरर्हित नहीं करेंगे ।

यह घोषित करना समीचीन है कि कतिपय पद, कतिपय दशाओं में उनके धारकों को मैसूर विधान सभा और मैसूर विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेंगे या निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे ।

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में मैसूर राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित हो :--

1. संक्षिप्त नाम--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मैसूर राज्य विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1956 है ।

2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "समिति" से अभिप्रेत है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी हो या नहीं ;

(ख) "प्रतिकरात्मक भत्ते" से अभिप्रेत है ऐसी धनराशि जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, बैठक फीस, वाहन भत्ते या मकान किराया भत्ते के रूप में अध्यक्ष या अन्य सदस्य को समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए उपगत किसी व्यय की पूर्ति के लिए अथवा समिति के सदस्य के रूप में किसी अन्य कृत्य के निष्पादन के लिए संदेय अवधारित की जाए ;

(ग) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है ऐसा निगम, बोर्ड, कंपनी, सोसाइटी अथवा एक या अधिक व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो किसी केंद्रीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य की विधि द्वारा या के अधीन और ऐसी किसी विधि के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या विरचित किया गया हो ।

3. कतिपय निरर्हताओं का हटाना--यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पद, उनके धारकों को मैसूर विधान सभा या मैसूर विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बने रहने के लिए निरर्हित नहीं करेंगे और कभी निरर्हित करने वाले नहीं समझे जाएंगे :--

(क) उपमंत्री, संसदीय सचिव, *विपक्ष के नेताओं या सरकारी मुख्य सचेतकों के पद ;

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 31) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए राष्ट्रीय कैडेट कोर में, प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 56) के अधीन समुत्थापित और बनाए रखे गए प्रादेशिक सेना में और सहायक रिजर्व तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का केंद्रीय अधिनियम 62) के अधीन सहायक वायु सेना और वायु रक्षा रिजर्व में धारित पद ;

[(खख) मैसूर होम गार्ड अधिनियम, 1962 (1962 का मैसूर अधिनियम 35) के अधीन गठित होम गार्ड के सदस्य का पद ;]

[(खख)(एवमेव) ग्राम रक्षा दल अधिनियम, 1964 (1964 का मैसूर अधिनियम 34) के अधीन गठित ग्राम रक्षा दल के सदस्य का पद ;]

* 1976 के कर्नाटक अधिनियम सं0 72 में संशोधित रूप में ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा गठित जिला विकास बोर्डों के सचिवों का पद (चाहे किसी नाम से पुकारा जाए) ;

*(गग) कर्नाटक जिला परिषद्, तालुक पंचायत समिति, मंडल पंचायत और न्याय पंचायत अधिनियम, 1983 (1983 का कर्नाटक अधिनियम 20) के अधीन गठित जिला परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद :

परंतु यह कि ऐसे किसी पद के धारक राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद धारण न करते हों ;

(घ) किसी समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद :

परंतु यह कि ऐसे किसी पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक को प्राप्त न करता हो या उसका हकदार न हो ।

* 1989 के कर्नाटक अध्यादेश सं0 2 में संशोधित किया गया और 30 जनवरी, 1989 के कर्नाटक के विशेष राजपत्र में प्रकाशित किया गया ।